कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./विविध/2020 दिनांक :– 05.11.20

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक।

विषयः– एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 से कवर्ड याचिकाओं में अभ्यावेदन निस्तारण के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय में नोशनल लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों में माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश प्रदान किये है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नोशनल लाभ प्रदान किये जाने से सम्बन्धित याचिकाओं में पारित निर्णयों के क्रम में प्राप्त अभ्यावेदनों को निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए निस्तारित करें:–

1. सम्बन्धित प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 से कवर्ड हो।
2. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 द्वारा अन्तः प्रतिस्थापित राजस्थान सेवा नियम के अध्याय–3 के नियम 8 के अनुसार "दिनांक 20.01.2006 को व इसके पश्चात राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिक को 02 वर्ष की कालावधि में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जावेगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के दौरान उसे नियत पारिश्रमिक संदत किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाए। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् उस पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जावेगा।" अतः अभ्यावेदन निस्तारित करते समय राजस्थान सेवा नियमों का पूर्णतः पालन किया जावें।
3. वरिष्ठता सम्बन्धी नोशनल परिलाभ समान भर्ती परीक्षा एवं समान विषय में चयनित एवं नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ अभ्यर्थी की कार्यग्रहण तिथि से प्रदान किया जावें।
4. नियमित वेतनमान का लाभ याचिकार्थी द्वारा परिवीक्षाकाल पूर्ण किये जाने के उपरान्त स्थायीकरण तिथि से कनिष्ठ कार्मिक के समान प्रदान किया जावें।
5. याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/परिवेदना के आधार पर मण्डल/जिला परिवर्तन होने की स्थिति में याचिकार्थी की वरिष्ठता का विलोपन हो जाता है अतः इस स्थिति में परिलाभ देय नहीं होगा।
6. शून्य वरीयता वाले याचिकार्थियों को अथवा शून्य वरीयता वाले कनिष्ठ अभ्यर्थियों से तुलना के आधार पर परिलाभ चाहने वाले याचिकार्थियों को परिलाभ देय नहीं होगा।
7. रिशफल परीक्षा परिणाम में चयन से बाहर होने वाले ऐसे याचिकार्थी जिनका माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में चयन निरस्त नहीं किया गया है एवं वर्तमान में कार्यरत है उन्हें परिलाभ देय नहीं है।
8. समान भर्ती परीक्षा एवं समान विषय में याचिकार्थी से कनिष्ठ अभ्यर्थी मण्डल में पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में परिलाभ देय नहीं होगा।

www.rajteachers.com

9. आरक्षित सूची द्वारा चयनित याचिकार्थियों को अथवा आरक्षित सूची द्वारा चयनित कनिष्ठ अभ्यर्थियों से तुलना के आधार पर परिलाभ चाहने वाले याचिकार्थियों को परिलाभ देय नहीं होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय को प्राप्त एवं इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित अभ्यावेदनों को निस्तारित कर निस्तारण आदेशों की प्रतियां एक साथ 10 दिवस के भीतर वाहक स्तर पर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

यदि किसी याचिकार्थी का पूर्व अभ्यावेदन निस्तारण आदेश उक्त निर्देशों के संगत नहीं है, तो उनका उपर्युक्त निर्देशानुसार संशोधित अभ्यावेदन निस्तारण आदेश जारी करें एवं तदनुरूप कार्यवाही सम्पादित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर/जोधपुर।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

www.rajteachers.com